दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आप.वि.वा. 2569/2022

प्रियश भार्गव व अन्य .... याचीगण

द्वारा : सुश्री चारू भरद्वाज, अधिवक्ता सह याचिकाकर्ता-1 व 2
याचिकाकर्ता-3 व याचिकाकर्ता-4 विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित |

बनाम

राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) व अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री रघुवेन्द्र वर्मा, राज्य के लिए
अति.लो.अभि. एवं उप.नि. अरुण, थाना मॉडल टाउन

निर्णय की तिथि : 21.04.2023

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश कुमार शर्मा

निर्णय

दिनेश कुमार शर्मा, न्या. (मौखिक)

1. वर्तमान याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498क / 406 / 307 / 313

/ 377 / 34 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत दर्ज मामला प्राथमिकी संख्या 130/2017 को रद्द करने की मांग की गई है।

2. मामले के संक्षेप में बताए गए तथ्य यह हैं कि पक्षकारगण ने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार दिनांक 04.06.2013 को विवाह किया। यह कि याचिकाकर्ता सं. 1 व प्रत्यर्थी सं. 2 के दृष्टिकोण में मतभेद व अंतर के कारण वे एक साथ सामंजस्य नहीं स्थापित कर सके और इस प्रकार वे मार्च 2017 से अलग रह रहे हैं। इसके बाद, प्रत्यर्थी सं. 2 ने सभी याचीगण के खिलाफ उपर्युक्त प्राथमिकी दर्ज कराई। इस विवाह से कोई संतान पैदा नहीं हुई है।

3. हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया है कि अब पक्षकारकारगण निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों पर एक समझौते पर पहुंच गए हैं

क. दोनों पक्षकारकारगण के मध्य इस बात पर सहमति है कि वे वर्तमान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के दो सप्ताह के भीतर परिवार न्यायालय के समक्ष आपसी सहमति से विवाह विच्छेद याचिका दायर करेंगे तथा परिवार न्यायालय के समक्ष अपना बयान देने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

ख. द्वितीय पक्षकार यह वचन देता है कि उसकी मां श्रीमती मीरा भार्गव घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम- 2005 की धारा 12 के तहत दायर मामलें, जो सुश्री उपासना सतीजा, 761-एमएम / महिला न्यायालय, उत्तर जिला, रोहिणी न्यायालय परिसर, नई

दिल्ली-110085 में लंबित हैं तथा श्री मयंक गोयल 528-एमएम, उत्तर जिला, रोहिणी न्यायालय परिसर, नई दिल्ली-110085 के न्यायालय में लंबित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत दायर मामला एवं वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत अलीपुर के जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर शिकायत, को दूसरे प्रस्ताव याचिका प्रस्तुत करने पर या उससे पूर्व वापस ले लेंगी।

ग. *यह कि द्वितीय पक्षकार, द्वितीय प्रस्ताव याचिका प्रस्तुत करने पर या उससे पहले, श्री मनु राय सेठी, प्रधान न्यायाधीश, उत्तर जिला, रोहिणी न्यायालय परिसर, नई दिल्ली-110085 के न्यायालय में लंबित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन दायर किए गए आवेदन को भी वापस लेगा।*

घ. *प्रथम पक्षकार ने फाइलिंग सं. 3682/2017 व फाइलिंग तिथि 13.04.2017 के माध्यम से रोहिणी जिला न्यायालय में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 की धारा 12 के तहत तथा फाइलिंग सं. 186/2017 व फाइलिंग तिथि 03/04/2017 के माध्यम से रोहिणी जिला न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत मामले दायर किए थे, दोनों ही मामलों को गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया। प्रथम पक्षकार कड़कड़डूमा के परिवार न्यायालय में लंबित विवाह विच्छेद याचिका संख्या 865/2020 को द्वितीय प्रस्ताव विवाह विच्छेद याचिका के प्रस्तुत होने पर या उससे पहले वापस लेने के लिए बाध्य है।*

ङ. *यह भी सहमति व्यक्त की गई है कि प्रथम पक्षकार द्वितीय प्रस्ताव के बयान दर्ज होने के बाद प्राथमिकी*

को रद्द करने के लिए सभी शपथपत्रों, आवेदन या याचिका पर हस्ताक्षर करने का वचन देता है।

च. *इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई है कि द्वितीय प्रस्ताव में पक्षकारगण के बयान दर्ज करने के बाद और आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की डिक्री पारित होने के बाद, द्वितीय पक्षकार, विधि अनुसार, उस प्राथमिकी सं. 130/17, दिनांकित 04.04.2017, थाना मॉडल टाउन को अभिखंडित करने हेतु माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अभिखंडन याचिका दायर करेगा, जो श्री राकेश कुमार III, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उत्तर जिला, रोहिणी न्यायालय परिसर, नई दिल्ली-110085 की न्यायालय में लंबित है, तथा प्रथम पक्षकार विधि अनुसार उक्त प्राथमिकी को अभिखंडित करने की प्रक्रिया में सहयोग करेगा तथा आवश्यक बयान या शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा एवं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी होगा।*

छ. *द्वितीय प्रस्ताव याचिका दायर करने पर या उससे पहले दोनों पक्षकारगण को एक-दूसरे या उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ उनके द्वारा दायर की गई सभी कार्यवाहियों / मामलों / शिकायतों को वापस लेना होगा, जिन के विषय में उन्होंने एक-दूसरे को सूचित किया है या नहीं किया है। द्वितीय प्रस्ताव याचिका को प्रस्तुत किए जाने पर या उससे पूर्व दोनों पक्षकारगण को अन्य पक्षकारगण के साथ कार्यवाही / मामला / शिकायत को बंद दर्शाने वाला दस्तावेज साझा करने होंगे।*

ज. *पक्षकारगण वर्तमान समझौता ज्ञापन की शर्तों का अनुपालन करने से पीछे नहीं हटेंगे और यदि कोई पक्षकार ऐसा करता है, तो अन्य पक्षकार को उसके लिए उपलब्ध उपचार के अनुसार न्यायालय जाने के सभी*

अधिकार होंगे, जो कि न्यायालय से / न्यायालय में विवाह विच्छेद को वापस लेने या चुनौती देने तक सीमित नहीं होंगे।

झ. दोनों में से कोई भी पक्षकार भविष्य में किसी प्रचलित विधि या भविष्य में बनाए गए किसी विधि के तहत किसी अन्य पक्षकार या उसके माता-पिता व संबंधियों की संपत्तियों (अचल या चल) पर, किसी भी प्रचलित या आगामी परिस्तिथियों में, कोई दावा या अधिकार पेश नहीं करेगा।

ञ. कोई भी पक्षकार भारत या विदेश के अधिकार क्षेत्र के भीतर अन्य पक्षकार या उसके कुटुम्ब के सदस्यों के विरुद्ध वैवाहिक विवाद से संबंधित या इस विवाह से उद्भूत कोई अन्य सिविल / आपराधिक मामला या अन्य शिकायत दायर नहीं करेगा।

ट. उपर्युक्त शिकायतों के अतिरिक्त, यदि किसी भी पक्षकार ने दूसरे पक्षकार की जानकारी के बिना या जानकारी में दिल्ली या भारत के किसी भी हिस्से में किसी अन्य पक्षकार या उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ किसी प्राधिकरण / आयोग / अधिकरण के समक्ष कोई शिकायत या मामला संस्थित किया है, तो द्वितीय प्रस्ताव को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व उस शिकायत / मामले को वापस लेगा।

ठ. यह कि आपसी सहमति से विवाह विच्छेद प्रदान किए जाने के बाद, चूंकि पक्षकारगण के वैवाहिक संबंध का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए पक्षकारगण तथा उनके परिवार के सदस्य इस वैवाहिक संबंध से उत्पन्न "समझौता ज्ञापन" से उद्भूत अधिकार के अतिरिक्त नोटिस भेजने, शिकायत दर्ज करने आदि सहित कोई भी विधिक कार्यवाही शुरू नहीं करेंगे।"

4. विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 25.04.2022 द्वारा विवाह पहले ही विघटित कर दिया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसे याचिकाकर्ता से कोई धनराशि नहीं मिली है। हालांकि, वह कहती है कि उसने फिर से विवाह कर लिया है और अपने पति के साथ शांति से रह रही है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने अपने मन की शांति के लिए और अपने पति के साथ खुशी से जीवन जीने के लिए समझौता किया है।

5. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बारंबार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वैवाहिक विवादों में, यदि पक्षकारगण ने आपस में सौहार्दपूर्ण रूप से मामले को सुलझा लिया है, तो इसे प्रोत्साहित करना न्यायालयों का कर्तव्य है। **बी. एस. जोशी बनाम हरियाणा राज्य, (2003) 4 एससीसी 675; यशपाल चौधरानी व अन्य बनाम राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार) व अन्य; 2019 एससीसी ऑनलाइन डेल 8179** पर भरोसा जताया गया है।

6. मेरा विचार है कि विचारण को जारी रखने से कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा क्योंकि पक्षकारगण ने स्वेच्छा से बिना किसी भय, बल व दबाव के समझौता किया है और कार्यवाही को समाप्त करने का फैसला किया है। यह एक वैवाहिक विवाद था जिसे अब सुलझा लिया गया है।

7. तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 498क / 406 / 307 / 313 / 377 / 34 व दहेज प्रतिषेध

अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत दर्ज मामला प्राथमिकी संख्या 130/2017 एवं उससे उद्भूत सभी अन्य कार्यवाहियां रद्द कर दी जाती हैं। हालांकि, मेरा मानना है कि इस मामले में याचिकाकर्ता पर कुछ जुर्माना लगाया जाना चाहिए। इसलिए प्रत्येक याचिकाकर्ता को चार सप्ताह के भीतर दिल्ली राज्य विधिक प्राधिकरण में 10,000/- रुपये जमा करने का निर्देश दिया जाता है।

दिनेश कुमार शर्मा, न्या.

21 अप्रैल, 2023/एआर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*